29.7.21 - पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। राज पैरोकार ने जवाब पेश किया जो शा०मि रहे। बहस सुनी गई। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज0

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या – 68/2020

प्रार्थी – राजेन्द्रसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी कितलसर तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण – 1. तहसीलदार डेगाना
2. शंकरसिंह पुत्र सुगनसिंह
3. शिम्भूसिंह पुत्र सुगनसिंह
4. हनुमानसिंह पुत्र सुगनसिंह जातियान राजपूत निवासीयान कितलसर जिला नागौर राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी – श्री दीपचन्द चौधरी

दिनांक 29.7.2021

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बाजियासर तहसील डेगाना की सरहद में जमीन खसरा नंबर 134 रकबा 4.8900 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त जमीन वादी की सहखातेदारी सुदा है। प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्रसिंह पुत्र सुगनसिंह है जो नाम इनके आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेजात में दर्ज है। प्रार्थी के पिता सुगनसिंह का देहान्त हुआ तब खसरा नंबर 134 का नामान्तकरण भरा गया जिसमें प्रार्थी का नाम राजेन्द्रसिंह पुत्र सुगनसिंह दर्ज होना था लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से या सहवन से प्रार्थी का नाम राजूसिंह पुत्र सुगनसिंह नामान्तकरण में गलत दर्ज हो गया। राजेन्द्रसिंह पुत्र सुगनसिंह व राजूसिंह पुत्र सुगनसिंह नाम का वादी एक ही व्यक्ति है दो अलग–अलग व्यक्ति नहीं है। राजस्व रेकर्ड में अशुद्व नाम दर्ज होने से वादी अपने जायज हकों का उपयोग करने में परेशान हो रहा है। उक्त नाम दुरूस्त किये जाने से किसी अन्य सहखातेदार का हक प्रभावित नहीं हो रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बाजियासर तहसील डेगाना के खसरा नंबर 134 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम राजूसिंह पुत्र सुगनसिंह के स्थान पर सही नाम राजेन्द्रसिंह पुत्र सुगनसिंह दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के विरूद्व बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी का यह कथन गलत है कि राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी का नाम राजूसिंह दर्ज किया गया है जबकि बैचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण संख्या 506 भरा गया। पंजीबद्व दस्तावेज के आधार पर दर्ज होने के कारण नाम दुरूस्त किया जाना संभव नहीं है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम बाजियासर के खसरा नंबर 134 की नकल जमाबन्दी संवत 2072–2076 में 2/15 हिस्से में राजूसिंह पुत्र सुगनसिंह की खातेदारी दर्ज है। सुगनसिंह के अन्य पुत्र भी उक्त भूमि में सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत सभी अन्य लोक दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम राजेन्द्रसिंह पुत्र सुगनसिंह दर्ज है। तहसीलदार डेगाना ने अपने जवाब में यह स्पष्ट अंकित नहीं किया है कि राजूसिंह व राजेन्द्रसिंह पुत्र सुगनसिंह नाम का एक ही व्यक्ति है अथवा नहीं ? मात्र पंजीबद्व दस्तावेज के आधार पर नाम दुरूस्त नहीं किये जाने का निवेदन किया है। जबकि प्रार्थी के समस्त लोक दस्तावेजात से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम राजेन्द्रसिंह है। अगर उक्तानुसार नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी को कोई क्षति होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बाजियासर के खसरा नंबर 134 में दर्ज नाम राजूसिंह पुत्र सुगनसिंह के स्थान पर राजूसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह पुत्र सुगनसिंह शुद्व किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। शेष खाता यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 29.07.2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

उपखण्ड ... डेगाना (नागौर)